



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233429
CG-DL-E-15022022-233429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 636]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2022

का.आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग— II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3821(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् “द टाइम्स ऑफ इण्डिया”, तारीख 19 अक्टूबर, 2021 और “संदेश”, तारीख 19 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए वलसाड जिले में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – वलसाड

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लाक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वलसाड	रोला	49	थनजी	कृषि	0.0044	भूपेन्द्राराय गोपालजी देसाई, केवलकुमार भूपेन्द्राराय देसाई
			51	निजी	कृषि	0.0170	भूपेन्द्राराय गोपालजी देसाई, केवलकुमार भूपेन्द्राराय देसाई
			1056	निजी	कृषि	0.0029	कोकिलाबेन प्रवीनभाई पटेल, गजराजबेन कान्जीभाई, काषीबेन कान्जीभाई, प्रवीनभाई कान्जीभाई, कुसुमबेन कान्जीभाई, सुरेशभाई कान्जीभाई, मुकेशभाई कान्जीभाई, टीनाबेन कान्जीभाई, अनीताबेन कान्जीभाई
			1075	निजी	कृषि	0.0018	रमनभाई छोटूभाई, पारवतीबेन पत्ति अम्बुभाई दियाभाई, नितेश अम्बुभाई, मीनाक्षी अम्बुभाई, योगिताबेन अम्बुभाई
			1078	निजी	कृषि	0.0035	ठाकुरभाई जीनाभाई पटेल, नवीनभाई जीनाभाई पटेल, अखिनभाई जीनाभाई पटेल,
			1081	निजी	कृषि	0.0056	ईश्वर गोपालजी, भूपेन्द्राराय गोपालजी देसाई, केवलकुमार भूपेन्द्राराय देसाई, जीगनेष ईश्वरलाल देसाई
2		जेसपुर	824	निजी	कृषि	0.0020	देवासिभाई नारनभाई पटेल हितेशकुमार देवासिभाई पटेल

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2278]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2022

S.O. 655(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3821(E), dated the 16th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 18th September, 2021 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in the daily local newspapers namely, "The Times of India" dated the 19th October, 2021 and "Sandesh" dated the 19th October, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railway 1989 Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in Valsad district in the State of Gujarat.

Name of the District – Valsad

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the village	Survey/Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the land owner/interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Valsad	Rola	49	Private	Agriculture	0.0044	Bhupendrarai Gopalji Desai KevalKumar Bhupendrarai Desai.
			51	Private	Agriculture	0.0170	Ishwarlal Gopalji Bhupendrarai Gopalji Desai Keval Bhupendrarai Desai Jignesh Ishwarlal Desai.
			1056	Private	Agriculture	0.0029	Kokilaben Pravinbhai Patel Gajrabai Kanjibhai Kashiben Kanjibhai Pravinbhai Kanjibhai Kusumben Kanjibhai Sureshbhai Kanjibhai Mukeshbhai Kanjibhai Tinaben Kanjibhai Anitaben Kanjibhai.
			1075	Private	Agriculture	0.0018	Ramanbhai Chhotubhai Parvatiben w/o Ambubhai Diabhai Niteshbhai Ambubhai Meenakshiben Ambubhai Yogitaben Ambubhai.
			1078	Private	Agriculture	0.0035	Thakorabhai Jinabhai Patel Navinbhai Jinabhai Patel Ashwinbhai Jinabhai Patel.

			1081	Private	Agriculture	0.0056	Ishwarlal Gopalji Bhupendrarai Gopalji Desai Keval Bhupendrarai Desai Jignesh Ishwarlal Desai.
2.		Jeshpur	824	Private	Agriculture	0.0020	Devasibhai Naranbhai patel Hitesh kumar Devasibhai Patel.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2278]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)